रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2006/चैत्र 10, 1928
No. 134] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2006/CHAITRA 10, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

सा.का.नि. 196(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 213"

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2006

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3, आदेश, 2006 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केंद्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट राशियां भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए करोड़ में
(1)	(2)
अरुणाचल प्रदेश	271.84
असम	305.67
हिमाचल प्रदेश	2164.12
जम्मू-कश्मीर	2458.56
केरल	470.37
मणिपुर	808.39
मेघालय	376.67
मिजोरम	537.19
नागालैंड	993.65
उड़ीसा	488.04
पंजाब	1556.83
सिक्किम	66.81
त्रिपुरा	1041.91
उत्तरांचल	1112.91
पश्चिमी बंगाल	2438.90

(2) उप-पैरा (1) में सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां, बारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए सिफारिश की गई रकम है।

(3) ग्यारहवें वित्त आयोग ने अतिरिक्त निर्देश निबंधन के संबंध में अपनी रिपोर्ट में राज्यों के लिए सिफारिश किए गए अनुदान के 15 प्रतिशत को रोक कर और उतना ही अंशदान केंद्रीय सरकार से लेकर एक प्रोत्साहन निधि में जमा करने की सिफारिश की थी, जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन के आधार पर अनुदान जारी किए जाएंगे। सारणी के स्तंभ (2) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सहायता अनुदान को, चालू वर्ष के दौरान राज्यों के राजवित्तीय निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन निधि से निर्मुक्त किया गया था :—

राज्य	रुपए करोड़ में
(1)	(2)
असम	68.33
छत्तीसगढ़	75.77
जम्मू-कश्मीर	360.15
झारखंड	62.52
कर्नाटक	68.92
उड़ीसा	51.62
राजस्थान	146.27
त्रिपुरा	151.37
उत्तरांचल	12.00

(4) उप-पैरा (1) और उप-पैरा (3) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19/(3)/06-वि. 1]
के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2006

G.S.R. 196 (E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 213"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

NO. 3 ORDER, 2006

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2006.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2005, as grants-in-aid of the revenues to each of the State specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the said Table, namely :—

TABLE

State	Rupees in crores
(1)	(2)
Arunachal Pradesh	271.84
Assam	305.67
Himachal Pradesh	2164.12
Jammu and Kashmir	2458.56
Kerala	470.37
Manipur	808.39
Meghalaya	376.67
Mizoram	537.19
Nagaland	993.65
Orissa	488.04
Punjab	1556.83
Sikkim	66.81
Tripura	1041.91
Uttaranchal	1112.91
West Bengal	2438.90

(2) The sums specified in column (2) of the Table in sub-paragraph (1) represent the amount recommended by the Twelfth Finance Commission for the year 2005-06.

(3) The Eleventh Finance Commission in its report on the additional term of reference had recommended withholding of 15 per cent of the grant recommended to the States with matching contribution by the Central Government for crediting into an Incentive Fund from which fiscal performance based grants will be released to all the States. The grants-in-aid specified against it in each of the column (2) of the Table below against each State were released during the current year from Incentive Fund based on the fiscal performance of States :—

State	Rupees in crores
(1)	(2)
Assam	68.33
Chhattisgarh	75.77
Jammu and Kashmir	360.15
Jharkhand	62.52
Karnataka	68.92
Orissa	51.62
Rajasthan	146.27
Tripura	151.37
Uttaranchal	12.00

(4) Any sum or sums payable under sub-paragraphs (1) and (3) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,
PRESIDENT.

[F. No. 19(3)/2006-L.1]
K. N. CHATURVEDI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.